# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल ।

टेलीफोन सं0 05921–243443, 243517 व 243617 (फैक्स)

पत्रांक 2696 /न्याय सहा0/विज्ञप्ति/2016 दिनाँक– 29.11 .2016

## :: विज्ञप्ति ::

विशेष सचिव, न्याय अनुभाग–3 (नियुक्तियां) उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या डी–2206/सात–न्याय–3–16–54(सम्भल)/2014 दिनांक 02.11.2016 के अन्तर्गत इस जनपद में उप शासकीय अधिवक्ता दीवानी चन्दौसी (सम्भल) के 01 (एक) रिक्त पद के सापेक्ष, विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर–7.03 (3) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पैनल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रिक्तीं का विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र0 | पदनाम | रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) चन्दौसी (सम्भल) | 01 (एक) |
| | योग | 01 (एक) |

1. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, जो पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत हो अथवा किसी कॉलेज में पूर्णकालिक प्रवक्ता, कमिश्नर–नोटरी, विवाह अधिकारी, एमिक्स क्यूरी, काजी या राजकीय आदाता के पद पर कार्यरत हो, परन्तु उक्त पद से त्यागपत्र देने पर उन्हें पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है।
2. शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसे प्राईवेट प्रेक्टिस का अधिकार नहीं होगा। उसके केवल राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित उपक्रम, निगम, राजकीय कम्पनी, परिषद, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशसी संस्थायें एवं प्राधिकारियों के वादों की पैरवी शासन की अनुमति से ही करने का अधिकार होगा।
3. पारिश्रमिक शासन के आदेशानुसार प्रमाणित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। किसी कार्य एवं परामर्श के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों से भिन्न होगी और राज्य कर्मचारियों की कोई सुविधा उन्हें अनुमन्य नहीं होगी। शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यावसायिक आबद्धता के रूप में की जायेगी तथा राज्य सरकार को किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार होगा।
5. उक्त पद की प्रतिपूर्ति करने हेतु शासन को प्रेषित किये जाने वाले पैनल में सम्मिलित होने हेतु योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अधिवक्ता नियुक्ति हेतु प्रारूप 'क' व 'ख' में आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2016 तक इस कार्यालय समय में पंजीकृत डॉक के माध्यम से प्रेषित करेंगे। नियत तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपना जीवन विवरण (बायोडाटा) विगत तीन वर्षों से सम्पादित कार्यों का न्यायालय द्वारा यथा विधि सत्यापित ब्यौरा और यह सूचना कि उन्होंने आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी विधि कार्य किया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, विगत तीन (03) वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर देय आयकर की धनराशि और यदि न लगाया हो तो उसके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करें एवं शपथ पत्र के साथ सत्यापित भी करें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि में से अभ्यर्थी यदि किसी संवर्ग का है, तब उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। जनपद मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र जनपद के जिलाधिकारी के

अनुमोदित

माध्यम से उनकी टिप्पणी सहित प्रेषित करने होंगे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के पद हेतु 07 वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। हिन्दी की प्रवीणता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

प्रपत्र क एवं ख पर सूचना आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी। आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

**संलग्नक–** प्रपत्र क एवं ख
आवेदन पत्र का प्रारूप

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2. जिलाधिकारी, मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति के प्रचार व प्रसार के साथ ही कृपया अपने जनपद के प्राप्त आवेदन पत्र अपनी टिप्पणी के साथ भेजने का कष्ट करें।
3. तहसील स्तरीय, समस्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट।
4. सचिव, बार एसोसिएशन, ——
5. जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6. नाजिर सदर कले0 सम्भल को सूचना पट पर प्रस्तारित करने हेतु।
7. समस्त तहसीलदार, जनपद सम्भल।

संलग्नक–प्रपत्र क एवं ख, आवेदन पत्र का प्रारूप।

आज्ञा से
जिलाधिकारी
सम्भल

जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

# आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम फोटोग्राफ

1. अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम
2. निवास का पता
3. जन्म तिथि
   (हाई स्कूल के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित)
4. शैक्षिक योग्यता
5. विधि व्यवसाय के कार्य की अवधि
6. अधिवक्ता/एडवोकेट बनने की तिथि (बार कांसिल के प्रमाण पत्र की प्रति सहित)
7. हिन्दी ज्ञान
8. क्या फौजदारी, दीवानी और माल सम्बन्धी विधि कार्य किया है।
9. विगत तीन वर्षों की आयकर सम्बन्धी सूचना
10. विगत दो वर्षों का सम्बन्धित न्यायालयों से सत्यापित कार्य विवरण जिसके साथ सफलता का सही सही प्रतिशत इंगित किया गया हो।
11. क्या अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल का या संगठन का सदस्य या पदाधिकारी है, यदि हो तो क्या नियुक्ति होने पर वह उस दल या संगठन से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने को तैयार है।
12. यदि कोई अधिवक्ता कोई दूसरा शासकीय पर यथा–नोटरी, सरकारी वकील तथा विधि कॉलेज में प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, विवाह अधिकारी आदि धारण करते है और यदि हॉ हो कौन सा पद। आवेदित पद पर नियुक्ति होने पर क्या वे अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे।
13. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के है, यदि हॉ तो इस विषय का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. प्रपत्र क एवं ख में सूचना आवेदन पत्र के साथ ही दी जायेगी (सूचना संलग्न है अथवा नहीं, उल्लेख करें)

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक
मोबाइल नम्बर

नोट :– आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी
संभल

प्रारूप–क

| क्र.सं. | नाम | शैक्षिक योग्यता | जन्म तिथि | बकालत प्रारम्भ करने की तिथि | एडवोकेट बनने की तिथि एवं अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

| किस कानून की वकालत करते हैं। | आयकर दाता है | नहीं | हिन्दी का ज्ञान है | नहीं |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |

हस्ताक्षर आवेदक

प्रारूप–ख

| क्र.सं. | दो वर्षो की अवधि का उल्लेख तथा कार्य विवरण सत्यापित है/नहीं। | सत्र परीक्षण दीवानी पक्ष हेतु कुल दिये गये वादों की सं0 | अवमुक्त वादों की संख्या | दोषसिद्ध वादों की संख्या | सफलता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

अपील तथा रिवीजन

| मुकदमें में सरकार की ओर से किये गये अथवा निजी लोगों की ओर से | कुल संख्या | कितने में सफलता प्राप्त की | सफलता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 |

जिलाधिकारी
सम्भल